# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in Ph. & Fax No. 07141-234266


क्र0 / मा.चि. / 4843 बैतूल, दिनांक 4/7/25

प्रति,

**कार्यपालन यंत्री**
**जल संसाधन संभाग क्रमांक–02**
**खण्ड–बैतूल (म.प्र.)**

विषय :– जिला–बैतूल के अंतर्गत प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/IRRIG/33438/2018)

संदर्भ :– 1. भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6MPC014/2019 2019-BHO/I/3135 दिनांक 30.05.2025
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. / एफ–3 / 16 / 440278 / 0015 / 2 दिनांक 02.06.2025
3. वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पत्र क्र. / 2104 दिनांक 09.06.2025
4. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 4626 दिनांक 25.06.2025

– 00 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्रानुसार दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल अंतर्गत ताप्ती परिक्षेत्र के ग्राम–रातामाटी एवं चौकी, जिला–बैतूल में प्रभुढाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 7.002 हे. वनभूमि व्यपवर्तन बावत् प्रदत्त सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति के क्रम में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 2104 दिनांक 09.06.2025 से सैद्धांतिक सहमति की समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था।

भारत सरकार एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार सैद्धांतिक सहमति की शर्त क्रमांक–A(1) की पूर्ति हेतु प्रभावित होने वाली 7.002 हे. वनभूमि के विरूद्ध ग्राम–बडोरी, तह. व. जिला–बैतूल, ख.नं. 167 की वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रोजेक्ट की लागत राशि रू. 89,50,000 / – (नवासी लाख पचास हजार रूपये मात्र) एवं शर्त क्रमांक–A(4) की पूर्ति हेतु प्रभावित होने वाली 7.002 हे. वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की राशि रू. 9,57,780 / – प्रति हे. की दर से 67,06,376/- एवं शर्त क्रमांक A(5) की पूति हेतु विषयांकित परियोजना की अनुमोदित जल ग्रहण क्षेत्र उपचार (CAT) योजना की लागत राशि इस प्रकार उपरोक्तानुसार तीनों ही शर्तो की राशियां ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से कैम्पा खाते में ऑनलाईन जमा कर राशि हस्तांतरण अभिलेख / चालान की प्रति प्रस्तुत करे एवं सैद्धांतिक स्वीकृति की समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत करे ताकि आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ को प्रेषित किया जा सकें।

औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार।**

(विजयानन्तम टी.आर.)
भा.व.से
**वनमंडलाधिकारी,**
**दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल**

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 4844 बैतूल, दिनांक 4/7/25

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल, वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर (भू–अभिलेख) बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं स्वीकृति की एक प्रति संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.) / परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) की ओर आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व आवेदित वनभूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होने दिया जाना सुनिश्चित करें।

**वनमंडलाधिकारी,**
**दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल**